

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा नं० विविध 61/2020

प्राथी :-

1. ढलपुरी उर्फ ओमपुरी पुत्र श्री भीमपुरी जाति स्वामी निवासी थान मल्लीनाथ,
तिलवाडा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

1. गुलाबपुरी पुत्र भीमपुरी जाति स्वामी निवासी थान मल्लीनाथ,
तिलवाडा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
वास्ते रेकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :- 1. श्री बाबूलाल सांखला प्राथी वकील


आदेश

दिनांक :- 29.7.2021

प्राथी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि खेत खसरा नम्बर 293 रकबा 21.06 बीघा व खसरा नंबर 877/280 रकबा 7.04 बीघा सरहद मौजा तिलवाडा व खसरा नम्बर 161 रकबा 2.13 बीघा, खसरा नंबर 451/268 रकबा 4.15 बीघा सरहद मौजा बोरवासा पटवार क्षेत्र तिलवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा, तहसील पचपदरा में स्थित है। प्राथी के सभी दस्तावेज में प्राथी का नाम ग्राम पंचायत तिलवाडा द्वारा जारी राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बिजली विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल, ड्राईविंग लाइसेंस व ग्राम पंचायत तिलवाडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में ओमपुरी नाम दर्ज है तथा आम बोलचाल की भाषा में प्राथी को ढलपुरी के नाम से सम्बोधित किया जाता रहा है। प्राथी प्रार्थना पत्र पेश कर प्राथी ढलपुरी का नाम दुरुस्ती कर प्राथी का सही नाम ओमपुरी पुत्र भीमपुरी अंकित कर राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती करने हेतु निवेदन किया है।

प्राथी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन दिनांक 19.06.2020 को जारी किया गया। विप्रार्थी गुलाबपुरी दिनांक 8.7.2021 को स्वयं उपस्थित होकर ईकबाली जबाब व शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 48 नियम 4 सी.पी.सी का पेश किया। प्राथी ढलपुरी की ओर से भी शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी का पेश कर जाहिर किया की उक्त आराजी भूमि में प्राथी का नाम ढलपुरी नाम दुरुस्त कर उसके स्थान पर प्राथी का सही नाम ओमपुरी पुत्र श्री भीमपुरी जाति स्वामी निवासी थान मल्लीनाथ, तिलवाडा, तहसील पचपदरा अंकित कर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किया जावें तो प्राथी को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार




राजस्थान
डी.ओ.
बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) Baloतरा

(2)

पचपदरा से दिनांक 29.7.2021 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रार्थी ढलपुरी का सही नाम ओमपुरी होना बताया गया एवं राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती कराने की सिफारिश की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं की गई।

प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी वकील को सुना गया तथा विप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब का व तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट का हमने प्रकरण का गौर से अवलोकन किया एवं प्रार्थी का सही नाम के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजात में परिचय पत्र, आधार कार्ड, बिजली विधुत विभाग द्वारा जारी बिल, ड्राईविंग लाईसेंस व ग्राम पंचायत तिलवाडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसमें प्रार्थी का सही नाम ओमपुरी पुत्र श्री भीमपुरी दर्ज है। जबकि प्रार्थी की आराजी मौजा खेत खसरा नम्बर 293 रकबा 21.06 बीघा व खसरा नंबर 877/280 रकबा 7.04 बीघा सरहद मौजा तिलवाडा व खसरा नम्बर 161 रकबा 2.13 बीघा, खसरा नंबर 451/268 रकबा 4.15 बीघा सरहद मौजा बोरावास पटवार क्षेत्र तिलवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा, तहसील पचपदरा में ढलपुरी पुत्र श्री भीमपुरी जाति स्वामी निवासी थान मल्लीनाथ, तिलवाडा दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम ओमपुरी है, लेकिन प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में बचपन में बोलचाल में ढलपुरी दर्ज किया गया है, प्रार्थी ~~का~~, विप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के आधार पर नाम दुरुस्ती करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा आदेश दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 293 रकबा 21.06 बीघा व खसरा नंबर 877/280 रकबा 7.04 बीघा सरहद मौजा तिलवाडा व खसरा नम्बर 161 रकबा 2.13 बीघा, खसरा नंबर 451/268 रकबा 4.15 बीघा सरहद मौजा बोरावास पटवार क्षेत्र तिलवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा, तहसील पचपदरा के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम ढलपुरी पुत्र श्री भीमपुरी के स्थान पर ओमपुरी पुत्र श्री भीमपुरी दुरुस्त किया जावे



आदेश आज दिनांक 29.7.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मरेश सीनी)
उपखण्ड अधिकारी,
(सुप्रीम प्रेस अधिकारी)
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी